

मध्य प्रदेश शासन
आयुष-विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

// आदेश //

भोपाल दिनांक 26/11/2019


क्रमांक /3583/504/2019/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 20/02/2019 में समिति द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान की पात्रता हेतु गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध होने पर इनकी अनुशंसा "परिभ्रमण" में रखी गई है। समुचित प्रस्ताव संचालनालय, आयुष से प्राप्त होंगे तत्समय निम्नलिखित आयुष चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान हेतु समिति विचार करेंगी :-

क्र.	नाम/पदनाम/वर्तमान वेतनमान	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान
1	2	3
1.	डॉ. गणपत सिंह चौहान, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला उज्जैन (सेवा. 28.02.07)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
2	डॉ. परमसुख पटेल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला सीधी (सेवा. 31.07.07)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
3	डॉ. राजेन्द्र सिंह सेंगर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला शिवपुरी (सेवा. 31.12.08)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)
4	डॉ. कैलाश चन्द्र व्यास, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला इन्दौर (सेवा. 30.11.08)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
5	डॉ. कैलाश नारायण पाठक, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला शिवपुरी (सेवा. 31.08.10)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)
6	डॉ. रामकृष्ण शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला शिवपुरी (सेवा. 31.08.10)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)

7	डॉ. जगन्नाथ सिंह (बधऊ), आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला सीधी (सेवा. 30.11.10)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
8	डॉ. सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला रीवा (सेवा. 30.11.10)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
9	डॉ. लक्ष्मण वर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला इन्दौर (सेवा. 31.08.10)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)

2/- उपरोक्त सभी सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों द्वारा समयमान वेतनमान की पात्रता वर्ष से विगत पांच वर्षों एवं पश्चातवर्ती वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन कब-कब, किस अधिकारी को प्रस्तुत किये गये है। इसकी जानकारी संबंधित सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त की जाकर गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही संचालनालय आयुष द्वारा की जाएगी। संचालनालय को गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाने पर समयमान हेतु बैठक के आयोजन के प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराए जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(कलावती उईके) 26-11-19
अवर सचिव


म. प्र. शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 2584/504/2019/1/59
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 26 / 11 / 2019

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल। (~~गोपनीय प्रतिवेदन सूचना संवर्धन है~~)
- 4- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
- 5- संभागीय आयुष अधिकारी,
- 6- जिला आयुष अधिकारी
- 7- संबंधित डॉ.....
- 8- आदेश फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अवर सचिव 26-11-19
म. प्र. शासन, आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

// आदेश //


भोपाल दिनांक 26/11/2019

क्रमांक/3585/504/2019/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 20/02/2019 में समिति द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान की पात्रता हेतु निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति न करने के कारण अनुपयुक्त पाये जाने के अनुक्रम में कॉलम 3 में उल्लिखित समयमान वेतनमान की स्वीकृति नहीं दी जाती है:-

क्र.	नाम/पदनाम/वर्तमान वेतनमान	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान
1	2	3
1.	डॉ. गजानन्द व्यास, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला शाजापुर (सेवा. 30.09.07)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
2	डॉ. मदन गोपाल दीक्षित, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला नरसिंहपुर (सेवा. 28.02.09)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
3	डॉ. जयप्रकाश जोशी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला धार (सेवा. 31.07.09)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
4	डॉ. यशवंत सिंह परिहार, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला शहडोल (सेवा. 31.03.10)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)

2/- उपरोक्त सभी सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों को पात्रता दिनांक से उनके सेवानिवृत्त दिनांक तक प्रथम/द्वितीय उच्चतर वेतनमान देने पर समिति द्वारा विचार किया गया। उक्त सभी आयुष चिकित्सा अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर समिति द्वारा प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये हैं। पूर्व में स्वीकृत द्वितीय समयमान वेतनमान की नियमानुसार वसूली की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


26/11/19


(कलावती उईके)

अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
 - 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 4- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन,..... । इस आदेश के परिप्रेय में समयमान वेतनमान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंधित प्रकरणों में समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये संबंधित अधिकारियों को किये जा रहे अधिक भुगतान को तत्काल रोका जाकर अभी तक किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।
 - 5- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
 - 6- संभागीय आयुष अधिकारी,
 - 7- जिला आयुष अधिकारी
 - 8- संबंधित डॉ.....
 - 9- आदेश फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अपर सचिव 26-11-19

म. प्र. शासन, आयुष विभाग